

प्रेस नोट दिनांक-03.04.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त/ अभियुक्ता के विरुद्ध की गई कड़ी कार्यवाही-

थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत निजी नर्सिंग होम में घटित घटना में पुलिस की निष्पक्ष जाँच प्रणाली में बाधा उत्पन्न करना व पुलिस टीम पर पत्थर बाजी कर उत्पात मचाने वाले 10 अभियुक्त/ अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा परिजनों को भ्रमित करके जनपद का माहौल खराब करने और दंगा भड़काने के उद्देश्य से दिया गया था पत्थर बाजी की घटना को अन्जाम-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध इस घटना से पूर्व में भिन्न-भिन्न थानों में गोली मारकर हत्या, दंगा, बलवा, उत्पात, लोगो से मारपीट, दलित महिला से छेड़खानी, दलित उत्पीड़न, जान से मारने की धमकी, आर्म्स एक्ट, लोक सार्वजनिक सम्पत्ति नि० अधि०, लोक सेवक पर हमला, बमबाजी व आगजनी, हत्या का प्रयास करने के अभियोग है दर्ज-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा टीमें गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संबंधित को दिये गये थे कड़े निर्देश-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, इलेक्टॉनिक साक्ष्य व वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए घटना का अति शीघ्र अनावरण कर साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही करके आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार पीड़ित परिवार की हरसंभव सहायता का प्रयास किया जा रहा है।

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ० अनिल कुमार द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण/ गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये थे। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह के पर्वेक्षण में क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रानीगंज श्री श्रवण कुमार सिंह मय हमराह निरीक्षक शशिकान्त यादव, निरीक्षक रामप्रताप सिंह, उ०नि० राजनारायण यादव, उ०नि० श्री अमित कुमार सिंह, उ०नि० राजनाथ यादव, उ०नि० शिवेन्द्र कुमार यादव, उ०नि० श्री फिरोज खाँ, उ०नि० श्री सतीराम, उ०नि० श्री राकेश चौरसिया, उ०नि० श्री हरिमोहन राजपूत, उ०नि० श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, का० अमीष कुमार प्रजापति, का० प्रदीप कुमार, म०का० प्रियंका कुशवाहा, म०का० दिव्या, म०का० सपना, चालक हे०का० कमलेश यादव, हे०का० गंगासागर जी, हे०का० अमरनाथ यादव, का० मनोज कुमार, का० पंकज यादव, का० विकास बाबू, का० रुद्रांश चौबे, का० योगेन्द्र यादव व का० चन्दन यादव द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, थाना रानीगंज में पंजीकृत मु०अ०स० 82/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/352/351(3)/121(1)/131/132/125/3(5)/115(2) भादवि० व 7 सीएलए एक्ट थाना रानीगंज से संबंधित वाँछित 10 अभियुक्त/ अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-

1. राम सजीवन पुत्र माताफेर निवासी ग्राम बांसी अधारगंज थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
2. सन्तोष सरोज पुत्र रामकरन निवासी ग्राम बांसी अधारगंज थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
3. संजय सरोज पुत्र पंचम निवासी ग्राम बांसी अधारगंज थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

4. अखिलेश सरोज पुत्र लल्लन निवासी ग्राम बांसी अधारगंज थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
5. धर्मराज सरोज पुत्र रामकरन निवासी ग्राम बांसी अधारगंज थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
6. शनि सरोज पुत्र अमृतलाल निवासी ग्राम बांसी अधारगंज थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
7. शारदा सरोज पत्नी अखिलेश निवासिनी ग्राम बांसी अधारगंज थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
8. माधुरी सरोज पत्नी संजय निवासिनी ग्राम बांसी अधारगंज थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
9. योगराज सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
10. मिथिलेश गौतम उर्फ बच्चा पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक रानीगंज श्री श्रवण कुमार सिंह मय हमराह निरीक्षक शशिकान्त यादव, निरीक्षक रामप्रताप सिंह, उ०नि० राजनारायण यादव, उ०नि० श्री अमित कुमार सिंह, उ०नि० राजनाथ यादव, उ०नि० शिवेन्द्र कुमार यादव, उ०नि० श्री फिरोज खाँ, उ०नि० श्री सतीराम, उ०नि० श्री राकेश चौरसिया, उ०नि० श्री हरिमोहन राजपूत, उ०नि० श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, का० अमीष कुमार प्रजापति, का० प्रदीप कुमार, म०का० प्रियंका कुशवाहा, म०का० दिव्या, म०का० सपना, चालक हे०का० कमलेश यादव, हे०का० गंगासागर जी, हे०का० अमरनाथ यादव, का० मनोज कुमार, का० पंकज यादव, का० विकास बाबू, का० रुद्रांश चौबे, का० योगेन्द्र यादव व का० चन्दन यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

दहेज हत्या के प्रकरण से संबंधित ०१ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी की बहन के साथ ससुराल वालो द्वारा मारपीट कर उत्पीड़न करने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा में मु०अ०सं०- ७०/२५ धारा ८५ / १०८ बीएनएस बनाम ०५ नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्त/ अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कुण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ०नि० राहुल कुमार मय हमराह का० अभिषेक त्रिपाठी, का० हर्षवर्धन द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अपराधी के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं०- ७०/२५ धारा ८५ / १०८ बीएनएस से संबंधित वांछित ०१ अभियुक्त मो०अफजल उर्फ सोनू पुत्र स्व० रहमत अली नि० पुरानी बाजार चिकवन टोला वार्ड न० १० कुण्डा थाना कुण्डा जिला प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- मो०अफजल उर्फ सोनू पुत्र स्व० रहमत अली नि० पुरानी बाजार चिकवन टोला वार्ड न० १० कुण्डा थाना कुण्डा जिला प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 अभिषेक त्रिपाठी, का0 हर्षवर्धन थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना अन्तू पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्तों को थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जैतीपुर कठार से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 01 देशी तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया ।

प्रतापगढ़।

थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत गड़वारा बाजार में वादी के होटल पर आरोपियों द्वारा मारपीट, गाली गलौज व फायरिंग करने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर दि0-31.03.2025 को थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 99/2025 धारा 109,352,351 (3), 3(5) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम 01 नामजद व 01 अज्ञात अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना अन्तू प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 चंद्रबली सिंह मय हमाराह उ0नि0 केशव प्रसाद, का0 संदीप यादव, का0 जितेंद्र यादव, का0 लाखन सिंह, का0 मृत्युंजय चौधरी , का0 पवन मौर्या द्वारा आज दि0- 03.04.2025 को देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना अन्तू में पंजीकृत मु0अ0सं0 99/2025 धारा 109,352,351 (3), 3(5) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित वांछित 02 अभियुक्तों 1. आशीष सिंह पुत्र स्वर्गीय जगदीश सिंह निवासी ग्राम चौरा थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़, 2. अंकित सिंह पुत्र सुरेंद्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम बरसंडा थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ को 01 मोटर साइकिल, 01 देशी तमंचा व 2 जिंदा कारतूस के साथ थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जैतीपुर कठार से गिरफ्तार किया गया । बरामद मोटर साइकिल को सीज किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया गया कि हम लोग गड़वारा ढाबे पर खाना खाने गये थे । ढाबा संचालक ने हम लोगों को खाना नहीं दिया था । इसी बात से ढावा संचालक के ऊपर हमे काफी क्रोध आया था । और मैं बदला लेने की फिराक में था । फिर हम दोनों ने एक राय होकर प्लानिंग किया और दिनांक 30/3/2025 को संग्रामपुर किला गेट के पास इसी तमंचे से मोहम्मद मुशीर के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया

था। जो आपने मेरे कब्जे से बरामद किया है और फरार हो गए थे। आज आप लोगों ने हम लोगों को पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. आशीष सिंह पुत्र स्वर्गीय जगदीश सिंह निवासी ग्राम चौरा थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।
2. अंकित सिंह पुत्र सुरेंद्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम बरसंडा थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

आशीष सिंह पुत्र स्वर्गीय जगदीश सिंह निवासी ग्राम चौरा थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 160/18 धारा 147,148,149,307,392, भादवि. व 7/27 आयुध अधि0 थाना कोत0 नगर जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 282/18 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 477/18 धारा 201,302, भादवि. थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 110/19 धारा 120b,302,307, भादवि. थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 116/19 धारा 307, भादवि. थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0 150/19 धारा 379, भादवि थाना धम्मौर जनपद अमेठी।
7. मु0अ0सं0 185/19 धारा 392,411, भादवि थाना कोत0 नगर अमेठी।
8. मु0अ0सं0 117/19 धारा 3/35, आयुध अधि0 थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
9. मु0अ0सं0 59/22 धारा 2/3 गैंगे0 एक्ट थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
10. मु0अ0सं0 248/22 धारा 506, भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
11. मु0अ0सं0 99/25 धारा 109,352,351(3) बीएनएस थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 01 देशी तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 चंद्रबली सिंह मय हमाराह उ0नि0 केशव प्रसाद, का0 संदीप यादव, का0 जितेंद्र यादव, का0 लाखन सिंह, का0 मृत्युंजय चौधरी, का0 पवन मौर्या थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद- प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत नया माल गोदाम फाटक के पास से किया गया गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के पीतल व तांबे के सामान/ बर्तन किया गया बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत वादिनी निवासी ग्राम टक्करगंज में आरोपियों द्वारा वादिनी के घर में घुस कर सामान चोरी करने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0स0 144/25 धारा 331(4), 305 बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात चोर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के कुशल पर्वक्षण में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 विलास यादव, का0 सोनवीर द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-48/25 धारा 331 (4) / 305 बीएनएस से संबंधित वांछित 03 अभियुक्तों 01. पिन्टू यादव पुत्र स्व0 रघबीर यादव निवासी टक्करगंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़, 02. नितेश दुबे पुत्र ओमप्रकाश दुबे निवासी कादीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़, 03. मो0 नसीम पुत्र मो0 जहीर निवासी विवेकनगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को चोरी के 04 अदद पीतल की परात, 01 अदद पीतल की थाली, 01 अदद तांबे का जग, 01 अदद तांबे की गिलास, 01 अदद तांबे की प्लेट तथा 01 अदद कसकूट का कटोरा के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत नया माल गोदाम फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2),317(4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. पिन्टू यादव पुत्र स्व0 रघबीर यादव निवासी टक्करगंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
02. नितेश दुबे पुत्र ओमप्रकाश दुबे निवासी कादीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
03. मो0 नसीम पुत्र मो0 जहीर निवासी विवेकनगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछने पर अपनी गलती की माँफी मांगते हुए एक स्वर में बता रहे हैं कि टक्करगंज में हम तीनों ने मिलकर रात में एक ताला बन्द घर में ताला तोड़ कर अन्दर घुसकर कीमती बर्तन चोरी कर भाग गये। चोरी के इस सामान को बेचकर जो भी पैसा मिलता हम तीनों आपस में बराबर में बाटकर अपना जीवन यापन करते हैं। आप लोगो ने हमें पकड़ लिया।

बरामदगी- चोरी के 04 अदद पीतल की परात, 01 अदद पीतल की थाली, 01 अदद तांबे का जग, 01 अदद तांबे की गिलास, 01 अदद तांबे की प्लेट तथा 01 अदद कसकूट का कटोरा बरामद ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 विलास यादव, का0 सोनवीर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

बीट आरक्षी के सतर्कता से 01 गैंगस्टर गिरफ्तार

थाना लीलापुर के मुख्य आरक्षी ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

मुख्य आरक्षी प्रेमपाल सिंह ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना लीलापुर के मुख्य आरक्षी प्रेमपाल सिंह को दिया जाएगा प्रशस्ति-पत्र

थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत भुलना मोड के पास से गैंगस्टर बल्लू उर्फ रामबचन गिरफ्तार

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त हत्या, मारपीट व धमकी जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में बहादुर मुख्य आरक्षी प्रेमपाल सिंह के सहयोग से थाना लीलापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 65/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में 01 वांछित अभियुक्त बल्लू उर्फ रामबचन पुत्र हरिशरन निवासी ग्राम पुरे गिरधर सहाय तिना थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को भुलना मोड के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

बल्लू उर्फ रामबचन पुत्र हरिशरन निवासी ग्राम पुरे गिरधर सहाय तिना थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

बल्लू उर्फ रामबचन पुत्र हरिशरन निवासी ग्राम पुरे गिरधर सहाय तिना थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 29/22 धारा 34/302/323 बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0स0 19/25 धारा 351/351(2) बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।
3. मु0अ0स0 65/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 हरिमोहन राजपूत मय हमराह का0 विनोद कुमार, का0 रुद्रान्श द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान अ0स0 203/94 धारा 323, 504 भादवि0 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त साधु सिंह पुत्र ठकुरी सिंह निवासी ग्राम जामताली थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को घर से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. साधु सिंह पुत्र ठकुरी सिंह निवासी ग्राम जामताली थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 हरिमोहन राजपूत मय हमराह का0 विनोद कुमार, का0 रुद्रान्श थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।